विकास ऐसा हो जो आफत से बचाए।
ऐसा न हो कि आफत बन जाए।।

आपदा नहीं हो भारी।
यदि पूरी हो तैयारी।।

www.bsdma.org

आपदा जोखिम न्यूनीकरण - सड़क सुरक्षा

कैलेण्डर 2016

Disaster Risk Reduction (DRR)

ROAD SAFETY

Calendar

अनिल कुमार सिन्हा

भा०प्र०से०(से०नि०)

उपाध्यक्ष

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

www.bsdma.org

आपदा जोखिम न्यूनीकरण–सड़क सुरक्षा कैलेण्डर क्यों?

सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनायें अत्यंत गंभीर समस्या बनकर उभरी है!

अतः इस वर्ष सड़क सुरक्षा विषय पर आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण जागरूकता कैलेण्डर 2016 लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। आज मानव जनित आपदाओं की श्रेणी में सबसे निरंतर आपदा है–सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें। अपने आस–पास हर पल हम इसकी आशंका से जूझ रहे हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियाँ, लोगों की लापरवाही और विशेष कर नवयुवकों में असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता तथा यातायात नियमों का उल्लंघन ऐसे हादसों को आमंत्रित करते हैं। मरने वाले की लापरवाही हो सकती है, लेकिन शराब पी कर गाड़ी चलाना, अनियंत्रित होती रफ्तार, लापरवाही और जान–बूझकर यातायात के नियमों का उल्लंघन इस आपदा के प्रमुख कारक हैं जिनका न्यूनीकरण करने के लिए समाज में हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी।

खतरों के प्रति लोगों को आगाह करना और इन्हें जिम्मेवारियों के प्रति जागरूक करना होगा।

इसी कड़ी में हम हर वर्ष पटना यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के साथ मिलकर 11–17 जनवरी के दौरान सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करते हैं। पिछले वर्ष बिहार दिवस (22–24 मार्च 2015) के दौरान पहली बार ट्रैफिक सुरक्षा पार्क का भी प्रदर्शन प्राधिकरण के पेवेलियन में किया गया था।

प्राधिकरण हर वर्ष किसी न किसी आपदा के प्रति जन–जागरूकता फैलाने हेतु विषय–केन्द्रित कैलेण्डर का प्रकाशन करता है। पूर्व में आपदा प्रबंधन, भूकंप, बाढ़, अगलगी और जलवायु परिवर्तन विषयों पर आपदा न्यूनीकरण कैलेण्डर प्रकाशित किया गया है, जिसकी सराहना हर वर्ग द्वारा की गई है, और समय–समय पर इसकी माँग भी आती रही है। प्राधिकरण द्वारा परिवहन विभाग, पटना यातायात पुलिस एवं मद्य निषेध विभाग के साथ निरंतर विचार–विमर्श के आधार पर सड़क सुरक्षा कैलेण्डर 2016 प्रकाशित गया है।

आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और अनेकों बहुमूल्य जिन्दगियाँ बचायी जा सकेंगी।

नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ!

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
बिहार सरकार
www.bsdma.org

नव वर्ष की
हार्दिक शुभकामनाएँ

सड़क सुरक्षा न हो केवल नारा।
बना लो इसको जीवन धारा।।

श्री नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री, बिहार-सह-अध्यक्ष
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

"सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएँ, अनमोल जीवन को सुरक्षित बनाएँ"

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
बिहार सरकार
www.bsdma.org

नव वर्ष की
हार्दिक शुभकामनाएँ

प्रो० चंद्रशेखर
मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग
बिहार सरकार

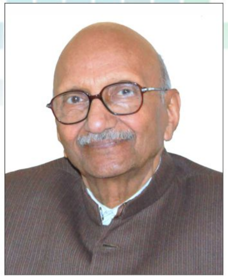

प्रो० आनन्द स्वरूप आर्य
सदस्य

डॉ० उदय कान्त मिश्र
सदस्य

श्री अंजनी कुमार सिंह
मुख्य सचिव-सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

श्री व्यास जी
प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग

"सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की ठानी है, अवांछित दुर्घटनाओं से जान बचानी है"

सड़क सुरक्षा संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

विश्व स्वास्थ्य संगठन की
वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2015: सड़क सुरक्षा पर आधारित

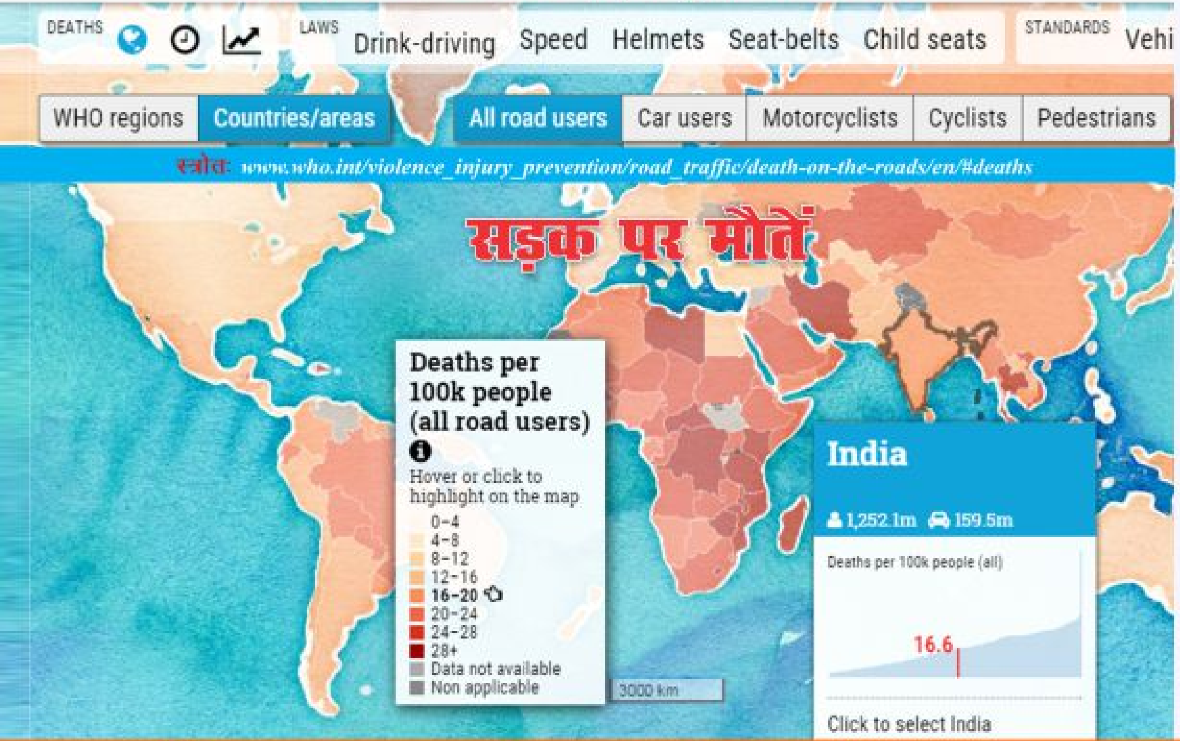

- वर्ष 2030 तक सड़क यातायात के कारण लगने वाली चोटें वैश्विक रूप से मृत्यु का पांचवा सबसे बड़ा कारण बन जाएंगी।
- सड़क पर होने वाली अधिकतर मौतें सिर पर चोटें लगने के कारण होती हैं। एक अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट सिर की गंभीर चोटों की संभावनाओं को 70 प्रतिशत तक कम कर देता है।
- 50 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से होने वाली टक्कर पांचवीं मंजिल से गिरने पर होने वाले प्रभाव के बराबर होती है।
- गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहनने से टक्कर का प्रभाव 80 प्रतिशत तक घट जाता है और चालक की दुर्घटना के दौरान मृत्यु की संभावना 60 प्रतिशत तक कम हो जाती है।
- भारत में चालक की गलती के कारण सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की कुल संख्या में से 10 प्रतिशत से अधिक दुर्घटनाएं शराब/नशीले पदार्थों का सेवन करने के कारण होती है।
- एक जागरूक तथा सचेत चालक अनहोनी की संभावनाओं को कम कर सकता है।

"प्रिय वाहन चालकों, बहुत हुई मनमानी। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर, यात्रा बनाओ सुहानी"

90 प्रतिशत सड़क हादसों का कारण तेज गति से वाहन चालन है।

मोटरयान अधिनियम के कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- **मोटर वाहन को खतरनाक तरीके से चलाना मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत दंडनीय अपराध है।**
- **हेलमेटः—**मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत हेलमेट धारण न करना अपराध है।
- **मोबाइल फोनः—** वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 21(6) (25) और मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 177 के तहत अपराध है।
- **वाहन चलाते समय धूम्रपान करनाः—** वाहन चलाते समय धूम्रपान करना केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 21 (14) का उल्लंघन है।
- **दौड़ या गति परीक्षण करनाः—** यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहनों की दौड़ या गति परीक्षण में भाग लेता है या उसकी अनुमति देता है तो वह मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 189 के अंर्तगत अपराध करता है।
- **बिना पंजीकरण अथवा बीमा के वाहन को चलानाः—** मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 192 'क' के अनुसार बिना पंजीकरण के वाहन का उपयोग करना एवं बिना बीमा के वाहन का परिचालन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 196 के तहत दंडनीय अपराध है।

शराब पीकर गाड़ी न चलायें, नही तो...

- **यातायात के मुक्त प्रवाह को बाधित करनाः—** यदि कोई व्यक्ति, किसी सार्वजनिक स्थान पर अपने मोटर वाहन को इस तरह रखता है जिससे यातायात का मुक्त प्रवाह बाधित हो, तो वह मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 201 के तहत अपराध है।
- **आपातकालीन वाहनः—** सड़क के नियम विनियम 1989 के अनुसार हर वाहन चालक को अग्निशमन सेवा वाहनों और ऐम्बुलेंस आदि आपातकालीन वाहनों को शीघ्र गुजरने देना चाहिए।

ट्रैफिक की दिशा के बाईं ओर गाड़ी पार्क करें।

यातायात नियमों का पालन करें।

यातायात नियमों की अनदेखी न करें।

जनवरी 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

1 जनवरी नव वर्ष (प्रतिबंधित)
15 जनवरी मकर संक्रांति (प्रतिबंधित)
16 जनवरी गुरू गोविंद सिंह जयंती
24 जनवरी कर्पूरी ठाकुर जयंती (प्रतिबंधित)
26 जनवरी गणतंत्र दिवस

10–16 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह
15–21 जनवरी भूकंप सुरक्षा सप्ताह
19 जनवरी NDRF Raising Day

www.bsdma.org

"प्रिय राहगीरों! सड़क सुरक्षा नियमों का रखना ध्यान, अनमोल है जीवन तुम्हारा, करो इसका सम्मान"

विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन 2015 के अनुसारः दस महत्वपूर्ण तथ्य

सुनामी में मरने वाले लोगों के मुकाबले 5 गुना लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं।

1. प्रत्येक वर्ष 12 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु सड़क/यातायात संबंधी दुर्घटनाओं में होती है।
2. प्रत्येक वर्ष लगभग 5 करोड़ लोग सड़क दुर्घटनाओं में या तो घायल अथवा अपंग हो जाते हैं।
3. कुल दुर्घटनाओं में आधे के करीब अधिकांश वे लोग होते हैं जो ज्यादातर सड़कों का उपयोग करते हैं, जैसे–पैदल चलने वाले, साईकिल चलाने वाले या मोटर साईकिल चलाने वाले।
4. किसी भी देश में घटित होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं की कीमत उस देश के कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 4 प्रतिशत के बराबर तक होती हैं।
5. सीट बेल्ट के समुचित प्रयोग से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु के जोखिम को 60 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।
6. कार में, बच्चों को नियंत्रित रखने वाले बेल्ट के अनिवार्य प्रयोग से सड़क दुर्घटनाओं मे होने वाले बच्चों की मृत्यु को 35 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।
7. हेलमेट के उपयोग से प्राण घातक और सिर के गंभीर चोटों को 45 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।
8. शराब एवं वाहन चालन से संबंधित कानून के समुचित पालन से पूरी दुनिया में कुल सड़क दुर्घटनाओं को 20 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।
9. वाहनों के औसत चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी से कुल होने वाले दुर्घटनाओं में लगभग 2 प्रतिशत की कमी हो सकती है।
10. साधारण एवं कम लागत वाले अभियांत्रिकीय उपायों यथा हेलमेट, सीट बेल्ट आदि के प्रयोग से हजारों जानें बचायी जा सकती हैं।

आगे निकलने की मत करो मारा-मारी, सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2014 में होने वाली मौतों की स्थिति

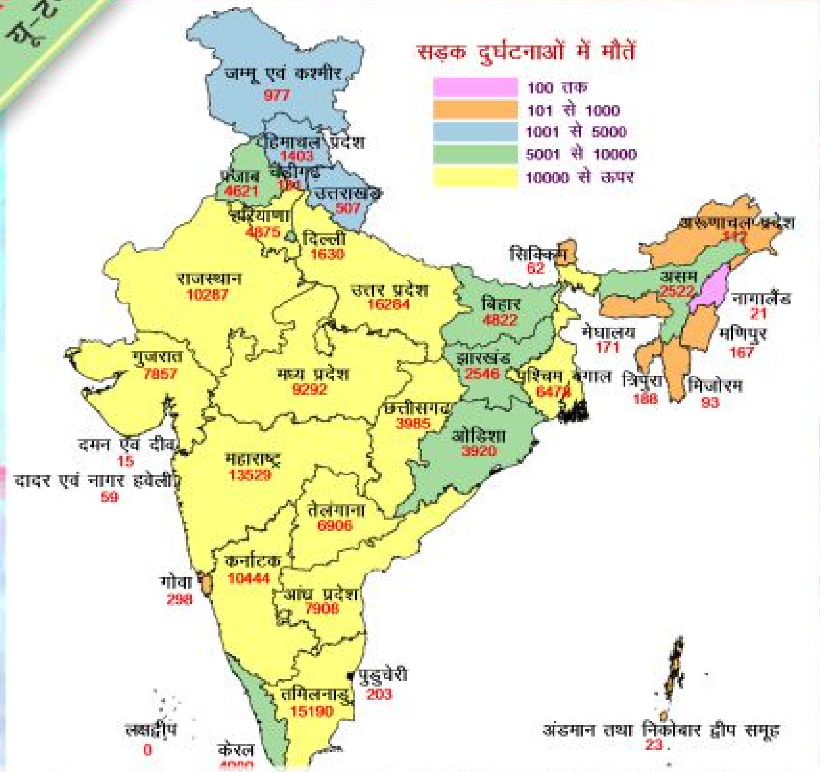

स्त्रोतः *http://www.ncrb.gov.in/MAPS-2014/adsi-2014%20maps/ADSI-2014-Accidents-Deaths.pdf*

www.bsdma.org

फरवरी 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29					

12 फरवरी बसंत पंचमी
22 फरवरी संत रविदास जयंती (प्रतिबंधित)

हमेशा ISI मार्क वाले हेलमेट ही पहनें।
दोपहिया वाहन बिना हेलमेट पहने न चलायें।

"सावधानी, सुरक्षा और संयम, रखें ध्यान इसका हरदम"

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ: अति गंभीर समस्या

- प्रत्येक दिन भारत में 1214 तथा साल में 1214 X 365 = 4,43,110 सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं।
- भारत में सड़क दुर्घटना में प्रत्येक चार मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
- भारत में सड़क दुर्घटना के कारण प्रति एक घंटे में 16 मृत्यु होती है।
- हर दिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें एक सामान्य विमान दुर्घटना में होने वाली मौतों के बराबर होती है।
- सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन 1287 व्यक्ति घायल होते हैं।
- देश में सड़क दुर्घटना में मरने वाले ज्यादातर लोग 30–44 वर्ष के बीच के होते हैं।
- देश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रति घंटे दो महिलाओं की जान जाती है।
- भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के 20 बच्चे प्रति दिन मारे जाते हैं।

[Source:- NCRB, Morth, LC9, GSRS 2013]

सड़क उपयोग-कर्त्ता की श्रेणियों के आधार पर भारत में मौतें

DEATHS BY ROAD USER CATEGORY

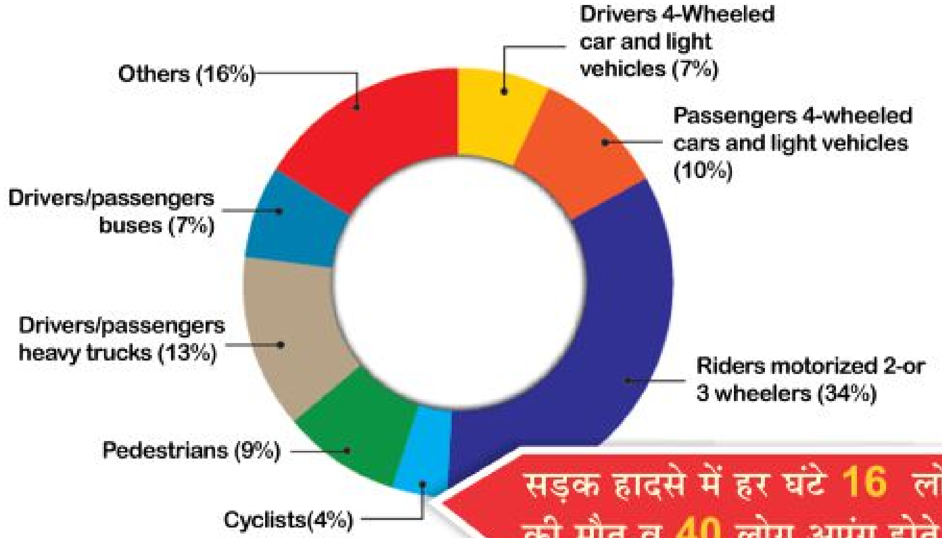

सड़क हादसे में हर घंटे 16 लोगों की मौत व 40 लोग अपंग होते हैं।

Source: Road Accidents in India; 2013 Transport Research Wing (TRW), Ministry of Road Transport and Highways (data form 2013)

सड़क पर स्टंट को गर समझोगे 'फन', कभी भी पड़ सकता है, ठंढ़ा आपका तन।

NO ENTRY
प्रवेश निषेध

www.bsdma.org

मार्च
2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे

7 मार्च	महाशिवरात्रि
22 मार्च	बिहार दिवस
23 एवं 24 मार्च	होली
25 मार्च	गुड फ्राइडे

यातायात संकेतों का अनुपालन करें।

ओवरलोडिंग न करें।

"ओवरलोडिंग है भूल, कब समझेगा मानव यह मूल"

बिहार में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति

- वर्ष 2013 में बिहार में होने वाले कुल दुर्घटनाओं में मृत्यु दर प्रति एक लाख की आबादी पर 11.7 थी।
- जबकि देश में वर्ष 2014 में सड़क दुर्घटनाओं में कुल 1,41,526 लोगों की मृत्यु हुई जिसमें 20,377 महिलायें थी।
- 2013 के NCRB; National के आंकड़ों के अनुसार बिहार का 17.8% क्षेत्र उच्च दुर्घटना मृत्यु प्रवण (High Accidental Death Prone) है।
- 2014 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं के कुल 9,531 कांड दर्ज हुए जिसमें 4,822 लोगों की मृत्यु हुई।
- पटना में 2014 में सड़क दुर्घटनाओं में कुल 796 लोगों की मृत्यु हुई थी।
- वर्ष 2014 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएँ मई महीने में हुई जिसमें कुल 41,404 दुर्घटनाएँ दर्ज की गयी,जो कुल दर्ज दुर्घटनाओं का 9.2 प्रतिशत था।
- वर्ष 2014 में दो पहिया वाहनों से घटित दुर्घटनाएँ कुल दुर्घटनाओं का 26.4% (करीब एक चौथाई से अधिक) दर्ज की गयी जबकि साईकिल के कारण हुई दुर्घटनाएँ सबसे कम (0.9%) रही।
- बिहार में पंजीकृत वाहनों के प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक दुर्घटनाएँ दर्ज की गयी। प्रति दुर्घटना मृत्यु की दर 2013 में 1.6 व्यक्ति रही।
- 2013 में पटना शहर में प्रति एक लाख की आबादी पर मृत्यु दर 39 व्यक्ति रही है।

गाड़ी की तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग व नशे में वाहन चलाना, सड़क हादसे के तीन प्रमुख कारण हैं।

स्त्रोत: *National Crime Records Bureau, Delhi*

“सड़क पर मत करो मनमानी, मानो नियम, बरतो सावधानी”

STRAIGHT PROHIBITED OR NO ENTRY
सीधा प्रवेश निषेध

www.bsdma.org

अप्रैल 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

14 अप्रैल भीमराव अंबेदकर जयंती/सम्राट अशोक अष्टमी
15 अप्रैल राम नवमी
20 अप्रैल महावीर जयंती
23 अप्रैल वीर कुँवर सिंह जयंती

14–20 अप्रैल –अग्नि सुरक्षा सप्ताह

सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग या फुटओवर ब्रिज का प्रयोग करें। ओवरटेकिंग न करें।

"चलें सड़क पर, रहें सजग, खुशियों से हो घर जगमग।"

ड्राइवर/वाहन चालक के कर्त्तव्य

- चालकगण को अपने वाहन में सदैव निम्नलिखित मूल दस्तावेज (Documents) रखना अनिवार्य है:–
  - ड्राइविंग लाइसेंस
  - पंजीयन सर्टिफिकेट
  - प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट
  - गाड़ी के बीमा के कागज
  - अद्यतन टैक्स भुगतान का सबूत (व्यावसायिक वाहनों के लिए)
  - परिवहन वाहनों के परमिट एवं फिटनेस सर्टिफिकेट
- चालक द्वारा सड़क चिन्हों का अनुसरण करना अनिवार्य है।
- केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित "रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन 1989" तथा यातायात संचालक के निर्देशों का भी पालन करना अनिवार्य है।
- वाहन का उचित रख–रखाव करना।

सड़क दुर्घटनाओं के कारण

➲ सड़क दुर्घटना के कई प्रमुख कारण इस प्रकार हैः–

- सड़कों की खराब अवस्था
- सुरक्षा नियमों की अवहेलना
- वाहन चलाते वक्त मोबाईल फोन का प्रयोग
- मद्यपान कर वाहन चलाना
- ओवरलोडिंग (गाड़ियों में आवश्यकता से अधिक लोगों को बैठाना)
- वाहन चलाते वक्त हड़बड़ी/जल्दबाजी में रहना
- बेतरतीब गाड़ी चलाना
- दो पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग न करना

एक अच्छे वाहन चालक के गुण

एक अच्छा चालक होने के लिए केवल वाहन को नियंत्रित करना ही नहीं अपितु अच्छे पूर्वानुमान गुण, सड़क पर खतरों को भांपने व समझने की अभिरूचि तथा क्षमता भी होनी चाहिए। याद रखिये, सड़क दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की मृत्यु अनुभव की कमी, वाहन की तीव्र गति, मदिरापान या नशीले पदार्थों का सेवन या मात्र जल्दी पहुँचने की बेचैनी होती है।

ध्यान रहे जब सड़क पर अपना, तो कैसे होगी दुर्घटना?

ONE WAY
एकल रास्ता

www.bsdma.org

मई
2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	26	28
29	30	31				

14 मई – विश्व रेड क्रॉस दिवस

1 मई मई दिवस (श्रम दिवस)
15 मई जानकी नवमी
21 मई बुद्ध पूर्णिमा
23 मई शब–ए–बरात

सीट बेल्ट का उपयोग करें।

प्रेशर हार्न का प्रयोग न करें।

"सबका भला और आपकी भी भलाई, अगर आपने गाड़ी धीरे चलाई"

क्या आप भी ऐसा करते हैं?

लापरवाही से वाहन न चलायें, अपना और अपने परिवार का जीवन बचायें।

VEHICLES PROHIBITED IN BOTH DIRECTIONS
दोनों दिशाओं में वाहन निषेध

www.bsdma.org

जून
2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

18 जून अनुग्रह नारायण सिन्हा जयंती
20 जून कबीर जयंती

1–7 जून – बाढ़ सुरक्षा सप्ताह
5 जून – विश्व पर्यावरण दिवस

सड़क पर गाड़ी से उचित दूरी बना कर रखें।

नींद, थकान या बीमार होने पर गाड़ी न चलायें।

"सड़क सुरक्षा निश्चित करो, अपना जीवन सुनिश्चित करो।"

बिहार राज्य एवं भारत सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए किये गये पहल

सड़क सुरक्षा सप्ताह–2015

- सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष करीब एक लाख से भी अधिक जन–धन की हानि होती है।
- इसी के मद्देनजर सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ) द्वारा प्रत्येक वर्ष 11–17 जनवरी के सप्ताह को सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
- वर्ष 2013 तक इसे पूरे देश में 01–07 जनवरी तक मनाया जाता था।
- वर्ष 2015 में 26 वाँ सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया।
- वर्ष 2016 में 27 वाँ सड़क सुरक्षा सप्ताह (10–16 जनवरी) का संदेश है;

"Road Safety- Time For Action"

- बिहार में भी सन 2015 में सड़क सुरक्षा सप्ताह 11–17 जनवरी को मनाया गया।
- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में पटना ट्रैफिक पुलिस, बिहार पुलिस, जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, मद्य–निषेध विभाग, कम्युनिटी पुलिस तथा रेड क्रॉस द्वारा मिलकर, व्यापक रूप सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया।

आतंकी घटनाओं में मरने वाले लोगों की अपेक्षा सड़क हादसे में लगभग 1892 गुना अधिक लोग मरते हैं।

सूझ-बूझ से गाड़ी चलाएं, दुर्घटना से बचें-बचाएं।

HORN PROHIBITED
हॉर्न निषेध

www.bsdma.org

जुलाई 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

1 जुलाई रमजान का अंतिम जुमा (प्रतिबंधित)
6 जुलाई ईदुल–फित्र (ईद)
7 जुलाई ईदुल–फित्र (ईद)(प्रतिबंधित)

4 जुलाई–विद्यालय सुरक्षा दिवस
1–15 जुलाई–विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद करें। शराब पीकर गाड़ी न चलायें।

सिर पर लगने वाली चोट अधिकतर मौत व अपंगता का कारण बनती है।

पटना में WhatsApp सेल

एक सही और सकारात्मक कदम

- किसी भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से तभी चल सकती है जब उस शहर में लोग ट्रैफिक नियमों का सही ढ़ंग से पालन करें।
- पटनावासियों को ट्रैफिक नियमों से अवगत कराने और उसका पालन कराने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह (11–17 जनवरी 2015) के अवसर पर पटना ट्रैफिक पुलिस के एस॰ पी॰ श्री प्राणतोष कुमार दास की ओर से WhatsApp हेल्पलाइन नंबर **9234600501** शुरू किया गया।
- इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने सामने किसी को ट्रैफिक नियम तोड़ते देखता है तो वह उसकी फोटो या वीडियो लेकर WhatsApp के जरिए ट्रैफिक पुलिस को भेज सकता हैं।
- फोटो या वीडियो में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्लेट साफ–साफ दिखाई देना चाहिए।
- इसके बाद नियम तोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान करके उस पर उचित कार्यवाई की जाती है।
- यातायात पुलिस का यह WhatsApp हेल्पलाइन सेल 24X7 काम करता है।

WhatsApp

पटना ट्रैफिक पुलिस की ओर से व्हाट्सएप् हेल्पलाइन नंबर

9234600501

पर यातायात नियमों को तोड़ने वालों की फोटो या वीडियो को शेयर कर शिकायत करें और जन सुरक्षा में भागीदार बनें।

WhatsApp सेल में अबतक कुल **62,982** मैसेज, **3,134** फोटो मैसेज भेजे गये एवं **1,504** लोगों का चालान किया गया हैं।

सड़क सुरक्षा नियमों एवं यातायात संकेतों को जानने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें।

PEDESTRIANS PROHIBITED
पैदल यात्रा निषेध

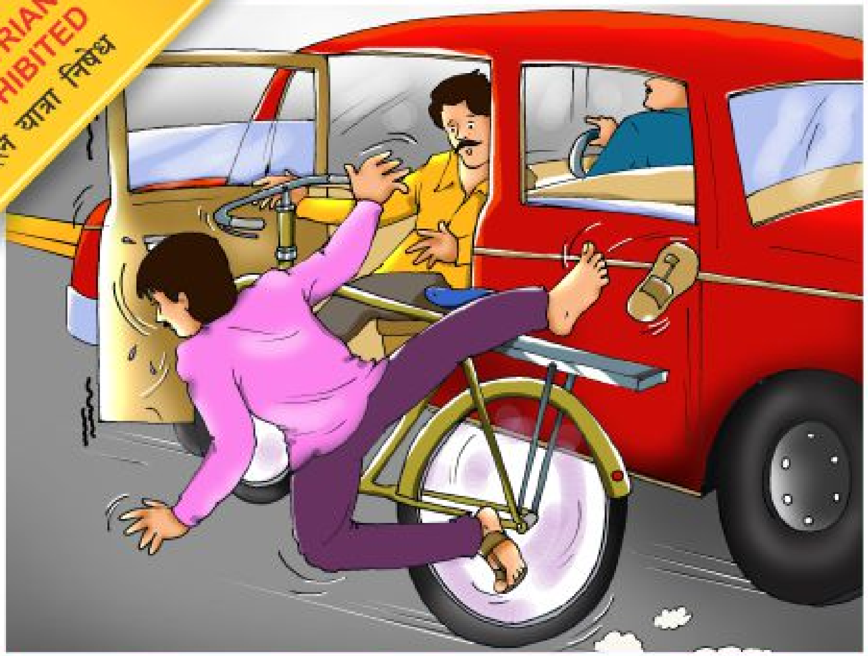

आपकी एक गलती किसी बड़े घटना की वजह तो नहीं है?
गाड़ी के दरवाजे पीछे की ट्रैफिक को देखकर ही खोलें।

www.bsdma.org

अगस्त 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
15 अगस्त अंतिम श्रावणी सोमवार (प्रतिबंधित)
18 अगस्त रक्षा बंधन (प्रतिबंधित)
25 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी

सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर ही चलें। सड़क पर न चलें।

यह जानें कि आपके बच्चे कहाँ और कैसे गाड़ी चला रहे हैं।

आदेशात्मक सड़क चिन्ह Mandatory Road Signs

Compulsory Turn Left बाएं मुड़ना अनिवार्य	Compulsory Turn Right दाएं मुड़ना अनिवार्य	Compulsory Ahead or Turn Right आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य	Compulsory Ahead or Turn Left आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य	Compulsory Ahead आगे चलना अनिवार्य	Main Road Ahead आगे मुख्य मार्ग है	Buses Only केवल बसों के लिए	Pedestrians Only केवल पैदल यात्री	Compulsory Sound Horn हार्न बजाना अनिवार्य

सचेतक सड़क चिन्ह Cautionary Road Signs

Right Hand Curve दाहिना मोड़	Left Hand Curve बायां मोड़	Traffic Signal यातायात संकेतक	Pedestrian Cossing पैदल क्रॉसिंग	School आगे स्कूल है	Men at Work आदमी काम कर रहे हैं	Cycle Crossing साईकिल क्रॉसिंग	Right Hand Pin Bend दाहिना घुमावदार मोड़	Left Hand Pin Bend बायां घुमावदार मोड़

Narrow Road आगे रास्ता संकरा है	Road Widens आगे रास्ता चौड़ा है	Side Road Left बायीं ओर पार्श्व सड़क	Speed Breaker गति अवरोधक	Round About गोल चक्कर	Two Way दोनों तरफ रास्ता है	Cross Road चौराहा	Gap in Median मध्य पट्टी में अंतर	Major Road मुख्य मार्ग

अगर वाहन अकस्मात रोकना पड़े तो सड़क के किनारे बायीं ओर रोकें तथा एमरजेन्सी लाईट जला दें।

www.bsdma.org

सितम्बर 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

12 सितम्बर ईदुल–उल–जोहा (बकरीद)
13 सितम्बर ईदुल–उल–जोहा (बकरीद) (प्रतिबंधित)
15 सितम्बर अनंत चतुर्दशी (प्रतिबंधित)
17 सितम्बर विश्वकर्मा पूजा (प्रतिबंधित)

हमेशा गाड़ी निर्धारित गति सीमा में ही चलायें।

बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।

लेन ड्राइविंग ही सुरक्षित ड्राइविंग है।

भारत में प्रतिदिन लगभग 20 बच्चे सड़क दुर्घटना में जान गवांते हैं।

स्कूल बस के लिए सुरक्षा सुझाव

स्कूल बस की सुरक्षा सभी अभिभावकों, शिक्षकों और बस स्टाफ की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बस स्टॉप पर ही समाप्त नहीं हो जाती। हमें अपने बच्चों को समुचित और सुरक्षित ढंग से स्कूल बस के उपयोग के बारे में सिखाना चाहिए।

बच्चों को सिखाना चाहिए कि जब वे स्कूल बस में चढ़ें तो

- जल्दबाजी न करें, बस के रूकने का इंतजार करें।
- एक कतार में रहकर बस में प्रवेश करें।
- रेलिंग पकड़कर बस में प्रवेश करें।
- देख लें कि आपका बैग या कपड़े आदि कहीं भी न फंसे।

बस में यात्रा करते हुए

- सीट पर समुचित ढंग से बैठें और चेहरा सामने रखें।
- अपने शरीर का कोई भी अंग बस से बाहर न निकालें।
- पायदान पर यात्रा न करें।
- बस का गलियारा खाली रखें।
- शोरगुल न करें और ड्राइवर का ध्यान न बटाएं।
- ड्राइवर और कंडक्टर के निदेर्शों का पालन करें।

बस से उतरते समय

- जल्दबाजी न करें, बस के रूकने का इंतजार करें।
- रेलिंग का उपयोग करते हुए बस से उतरें।
- बस के अगले दरवाजे से बाहर निकलें।
- उतरते समय ड्राइवर आपको देख सकें।

मैं यातायात नियमों का पालन करता हूँ।

और तुम?

कभी भी दौड़कर सड़क पार मत करो।

पार्किंग के नियम सड़क व जगह के अनुसार होते हैं। हमेशा पार्किंग नियमों का पालन करें।

RIGHT TURN PROHIBITED
दायाँ मोड़ निषेध

बिहार दिवस के अवसर पर पटना के गाँधी मैदान में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं पटना ट्रैफिक पुलिस द्वारा आयोजित ट्रैफिक सेफ्टी पार्क

www.bsdma.org

अक्टूबर 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	26	28	29

1 अक्टूबर	दुर्गा पूजा कलश–स्थापन (प्रतिबंधित)
2 अक्टूबर	गाँधी जयंती
8, 9 अक्टूबर	दुर्गा पूजा (सप्तमी) एवं महाअष्टमी
10,11 अक्टूबर	दुर्गा पूजा महानवमी एवं विजयादशमी
11 अक्टूबर	जय प्रकाश नारायण जयंती (प्रतिबंधित)
12 अक्टूबर	दुर्गा पूजा (प्रतिबंधित)
12 अक्टूबर	मोहर्रम
13 अक्टूबर	मोहर्रम (प्रतिबंधित)
21 अक्टूबर	श्री कृष्ण जयंती (प्रतिबंधित)
30 अक्टूबर	दीपावली

बच्चों के वयस्क होने पर ही उन्हें उचित प्रशिक्षण के बाद गाड़ी चलाने की अनुमति दें।

बच्चों को सड़क पर अकेले न जाने दें।

"खतरे की सिग्नल है रंग लाल, जले तो मत कर सड़क पार"

नशे के कारण होने वाले सड़क हादसों में मध्य प्रदेश प्रथम व बिहार द्वितीय स्थान पर है।

ट्रैफिक सेफ्टी पार्क और सड़क सुरक्षा

- वैसे पार्क या स्थान, जहाँ बच्चे यातायात के नियमों के बारे में सीखते हैं, ट्रैफिक पार्क या चिल्ड्रेन ट्रैफिक सेफ्टी पार्क कहलाते हैं।
- ऐसे पार्कों का मूल उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों में यातायात नियमों के विषय में जागरूकता लाना एवं जानकारी बढ़ाना होता है। यहाँ बच्चे यातायात के नियमों को व्यावहारिक आधार पर सीखते हैं जिनका उपयोग वे जीवनपर्यंत करते हैं।
- सामान्यतः ऐसा पार्क किसी बड़े पार्क में आकर्षण का केन्द्र होता है। एक अलग ट्रैफिक पार्क सामान्यतः छोटा होता है।
- एक आदर्श ट्रैफिक पार्क में शहर के मूल सड़क मार्गों एवं गलियों का अनुपातिक प्रतिरूप भी होता है। इन ट्रैफिक पार्कों में ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं तथा वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी उपस्थित होकर बच्चों को ट्रैफिक के नियमों की जानकारियाँ देते हैं।
- इन पार्कों में कम उम्र के बच्चे को साईकिल या पैडल से चलने वाले टॉय कार को चलाने की अनुमति दी जाती है जिससे बच्चे सड़कों एवं गलियों से संबंधित यातायात नियमों को समझ सकें।
- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी 7 वीं बैठक में राज्य की राजधानी तथा अन्य जिलों में भी ट्रैफिक सेफ्टी पार्क को स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

झूठी शान व दिखावे के लिए छोटी उम्र के बच्चों को गाड़ियाँ न चलाने दें।

STOP रुकिए

www.bsdma.org

नवम्बर 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

1 नवम्बर	चित्रगुप्त पूजा/भाई दूज
5 नवम्बर	छठ पूजा (खरना) (प्रतिबंधित)
6 एवं 7 नवम्बर	छठ पूजा
14 नवम्बर	गुरू नानक जयंती (प्रतिबंधित)
24 नवम्बर	चेहल्लुम

गाड़ी की चाभी बच्चों से दूर रखें। गाड़ी की नियमित रूप से सर्विसिंग करायें।

हाईवे पर खुलने वाली सड़कों से हाईवे पर आने में हवा की सवारी न करें। गति धीमी करके, सावधानी से दायें-बायें देखकर मुख्य धारा की ट्रैफिक में जुड़ें।

दुनिया में होने वाले कुल सड़क हादसों में से लगभग **10** प्रतिशत हादसे भारत में होते हैं

सड़क सुरक्षा से संबंधित बच्चों के लिए दस महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

1. सड़क किनारे बने फुटपाथ पर ही चलो।
2. ट्रैफिक में सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का ही उपयोग करो।
3. रूको–रूको–रूको! बायें–दायें–बायें देखो! तभी आगे बढ़ो!!!
4. दौड़कर कभी सड़क पार मत करो।
5. हमेशा याद रखो– ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती रूकने के लिए, पीली बत्ती सावधान होने के लिए तथा हरी बत्ती चलने के लिए कहती है।
6. साईकिल, रिक्शा, टांगा या ठेलागाड़ी के पीछे चमकीले लाल रंग (Florescent Light) की पट्टी अवश्य लगाओ।
7. सड़क या संभावित पार्किंग क्षेत्र में कभी भी मत खेलो।
8. यातायात के नियमों का पालन करो और सदा हेलमेट पहनकर ही अपनी लेन में साइकिल चलाओ। सड़क के बीच में कभी भी साईकिल मत चलाओ। अपनी साईकिल के ब्रेक, घंटी, लाईट आदि को हमेशा दुरूस्त रखो।
9. कोशिश करो कि अंधेरा होने पर साईकिल न चलाओ। फिर भी आवश्यक हो तो हमेशा चमकीले कपड़े पहनकर ही बाहर निकलो।
10. टहलते समय या साईकिल चलाते समय कभी भी ईयरफोन का प्रयोग नहीं करो और न ही गाने सुनो।

"दिमाग, ज्ञान, प्यार से, ट्रैफिक नियम ध्यान से"

GIVE WAY
रास्ता दीजिए

www.bsdma.org

दिसम्बर 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

3 दिसम्बर डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जयंती (प्रतिबंधित)

13 दिसम्बर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस

24 दिसम्बर क्रिसमस ईव (प्रतिबंधित)

25 दिसम्बर क्रिसमस डे

साइरन की आवाज सुनते ही एम्बुलेंस तथा दमकल के लिए सड़क की दाहिनी लेन तुरंत खाली कर दें।

ट्रैफिक में एम्बुलेंस व दमकल को पहले जाने दें। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी न चलायें।

याद रखिये, सड़क पर पहला हक पैदल चलने वालों का होता है। उन्हें सम्मान से सड़क पार करने दें।

5 -25 वर्ष के व्यक्तियों के मौत का दूसरा सबसे कारण सड़क हादसा है।

सड़क दुघर्टनाओं में प्राथमिक उपचार स्वर्णिम घंटा "THE GOLDEN HOUR"

- सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति की जान समुचित समय, प्रबंधन एवं प्राथमिक सहायता से बचायी जा सकती है। सड़क दुर्घटना के तुरंत बाद के पहले घंटे की अवधि को स्वर्णिम घंटा **"THE GOLDEN HOUR"** कहा जाता है।
- इस अवधि में पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिये जाने से उसके जीवन की संभावना बढ़ायी जा सकती है एवं चोट की गंभीरता को कम किया जा सकता है।
- यदि घटना के कारणों एवं परिणामों को तुरंत समझकर पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सीय सहायता दिया जाय तो अधिकांश मौतों और चोटों के प्रभाव को बहुत हद तक कम किया जा सकता है।
- सड़क दुर्घटना में होने वाली अधिकांश मौतों के कारण केवल गंभीर चोटें और अत्यधिक खून का बहाव ही नहीं होते हैं।
- ज्यादातर ऐसी मौतों का कारण घटना स्थल पर लोगों की भीड़ के कारण पीड़ित व्यक्ति के वायु मार्ग का अवरूद्ध होना है।
- जिससे व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है।
- अतः घटना स्थल पर भीड़ न लगने दें और गोल्डेन आवर में पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करें।

पैदल यात्रियों के लिए सड़क सुविधाएँ

आधुनिक सड़क व्यवस्था में सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना को कम करने के लिए पैदल यात्रियों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है जिसमें चौराहे को पार करने के लिए ऊपरी पुल अथवा भूमिगत रास्ता, जेब्रा क्रॉसिंग, सड़क के किनारों पर फुटपाथ की व्यवस्था आदि सम्मिलित है। यहाँ दुपहिये वाहन न चलायें।

ट्रैफिक के बीच में गाड़ी पार्क न करें।

TRUCKS PROHIBITED
ट्रक निषेध

www.bsdma.org

जनवरी 2017

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

1 जनवरी नव वर्ष (प्रतिबंधित)
14 जनवरी मकर संक्रांति (प्रतिबंधित)
26 जनवरी गणतंत्र दिवस

10–16 जनवरी	सड़क सुरक्षा सप्ताह
15–21 जनवरी	भूकंप सुरक्षा सप्ताह
19 जनवरी	NDRF Raising Day

पिछले सीट पर बैठे व्यक्ति भी हेलमेट अवश्य पहनें।

सड़क पर ईयरफोन का प्रयोग न करें।

किसी चौराहे, तिराहे या सर्किल के पास गाड़ी पार्क न करें।

सड़क दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद कैसे करें?

पीड़ित के लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता

संकटपूर्ण चार मिनट–किसी भी सड़क दुर्घटना में मौत का सबसे सामान्य कारण ऑक्सीजन की सप्लाई रूकना होता है। अधिकतर मामलों में इसका कारण वायु मार्ग का अवरूद्ध होना है।

इन्हें याद रखें और अमल में लायें:

1. स्थल को सुरक्षित बनाएं 2. घायल तथा बेहोश अथवा पीड़ित व्यक्ति को खोजें

3. उनकी सहायता करें और **4. औरों को भी मदद के लिए बुलाएं**

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के इलाज की प्राथमिकताओं के क्रम में सबसे पहले सुनिश्चित करें कि **श्वास में अवरोध (ऑक्सीजन न मिलना), हृदय की गति का एकदम से रूकना, तीव्र रक्तस्त्राव** और **अन्य चोटें/बीमारियाँ** तो नहीं है। यदि इसमें से कुछ भी है तो;

ए बी सी के नियम का अनुसरण करें

ए. एयरवे यानी वायु मार्ग–वायु मार्ग यानी सांस लेने का रास्ता खोलें

बी. ब्रीदिंग यानी सांस लेना–मुँह से मुँह में सांस छोड़कर (प्राणवायु), संचार में मदद करें

सी. सर्कुलेशन यानी रक्तसंचार–खून बहने को रोकें

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार किसी घायल नागरिक को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए। तत्पश्चात ही कानूनी प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

"सुरक्षित हो सड़कों पर जान, पशु या मानव एक समान"

पीड़ित को कृत्रिम साँस देने की प्रक्रिया

1. ऐम्बुलेंस को बुलायें
2. सिर को झुकायें, ठुड्डी को ऊठायें और सांस की जाँच करें

3. दो बार साँस दें
4. नब्ज की जाँच करें

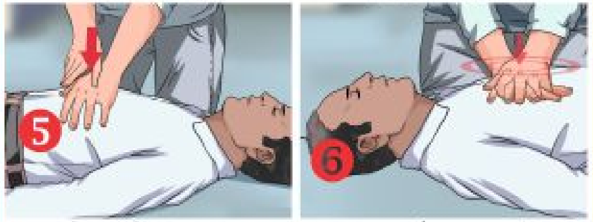

5. हथेली को पीड़ित की छाती के मध्य रखें
6. छाती को 2 इंच तक कसकर 15 बार दबायें

जब तक एम्बुलेंस न आ जाय तब तक 2 बार साँस और 15 बार छाती पर दबाव देते रहें।

NO PARKING OR STOPPING
रूकना या पार्क करना निषेध

क्या आपकी हड़बड़ी आपकी जिन्दगी से भी बड़ी है?

www.bsdma.org

फरवरी
2017

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

ALL MOTOR VEHICLES PROHIBITED
सभी मोटर वाहन निषेध

मानव रहित रेलवे फाटक पर ठहरें।

लंबी दूरी की सड़क यात्रा रात में न करें।

पार्क करते समय और गाड़ी का गेट खोलते व बंद करते समय आस-पास जरूर देख लें।

सड़क हादसों के **40 -50%** कुल चोट एवं **40 -60%** गंभीर चोट के खतरे को सीट बेल्ट के उपयोग से कम किया जा सकता है।

इन्हें अमल में लायें

किसी सार्वजनिक स्थान के प्रवेश द्वार पर गाड़ी पार्क न करें।

क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही स्कूल जाते हैं?

www.bsdma.org

मार्च 2017

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे

हमेशा हल्के रंग की गाड़ी ही खरीदें।

गाड़ी चलाते समय मोबाईल फोन का इस्तेमाल न करें।

बच्चों को गाड़ी में अकेला न छोड़े।

भ्रम/Myths	सत्य/Facts
आपको लगा कि आपके घर के सामने बनी हुई गली आपके खेलने के लिए है?	ऐसा निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है और चोट लग सकती है। यह केवल यातायात के लिए है।
बच्चों को कॉलोनी के अंदर सड़कों पर हल्के स्कूटर पर सवारी की अनुमति होती है।	ऐसा नहीं है। किसी भी सड़क पर, जहाँ यातायात चल रहा हो यह गैर–कानूनी है।
क्या यह ठीक है कि एक दुपहिया वाहन पर दो बड़े और एक बच्चा सवारी करें?	निश्चित रूप से नहीं। एक दुपहिया वाहन पर केवल दो लोग हेलमेट पहन कर सवारी कर सकते हैं।
क्या फुटपाथ पर चलते समय मोबाइल पर जरूरी कॉल सुननी चाहिए?	नहीं, सड़क पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल से दुर्घटना हो सकती है।
आस–पास की दुकानें, बच्चों को नजदीकी स्कूल छोड़ने, इत्यादि के लिए दुपहिया वाहन पर हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं होती।	दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसका दूरी या निकटता से कोई संबंध नहीं है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)
द्वितीय तल, पन्त भवन, बेली रोड, पटना
फोन : 0612–2522032
website : www.bsdma.org

सड़क सुरक्षा
ROAD SAFETY
Calendar 2016

परिकल्पना एवं मार्गदर्शन : श्री अनिल कुमार सिन्हा
विशेष सहयोग एवं मार्गदर्शन : डॉ० उदय कान्त मिश्र
रिसर्च, रूपांकन एवं साज–सज्जा : डॉ० मधु बाला
चित्र सहयोगः परिवहन एवं यातायात विभाग, बिहार सरकार
ले–आउट डिजाईन : श्री संजीव कुमार # 9835413516
बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम लि. द्वारा आदेशित एवं
पारस पब्लिकेशन प्रा. लि., हाजीपुर ☎ 06224–277308 द्वारा मुद्रित।

बच्चों को यातायात के नियमों की सीख दें।

Join us on Facebook (Bihar Aapda Mitra)- http://www.facebook.com/groups/biharaapdamitra)